सं. 1(2)/2025-समन्वय

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

लोक उद्यम विभाग

****

मार्च, 2025 माह के लिए मासिक सारांश

1. सीपीएसई और अन्य सरकारी संगठनों में पूंजीगत व्यय:

वर्ष 2024-25 के लिए चुनिंदा सीपीएसई (100 करोड़ रुपये या उससे अधिक के वार्षिक कैपेक्स अनुमान) और अन्य सरकारी संगठनों [जैसे रेलवे बोर्ड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, दिल्ली मेट्रो रेल निगम और दामोदर घाटी निगम] के लिए कैपेक्स उपलब्धि की जानकारी मार्च, 2025 के अंत तक संकलित की गई थी। इन संस्थाओं ने 8.07 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय हासिल किया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 7.87 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों का 102.58% है।

2. सीपीएसई का संचालन:

i. शीर्ष समिति की सिफारिशों और माननीय मंत्री (वित्त) की मंजूरी के आधार पर, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) और भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) को 03 मार्च, 2025 को नवरत्न का दर्जा दिया गया।

ii. लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) में कार्यकारी निदेशक (ईडी) के 02 पदों के सृजन के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) के प्रस्ताव पर 12 मार्च, 2025 को अपनी सहमति भेज दी है।

iii. लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने 25 मार्च, 2025 को सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) में तत्काल आमेलन के नियम से बोर्ड स्तर के नीचे के 04 पदों की छूट पर अपनी सहमति भेज दी है।

3. अंतर-मंत्रालयी बैठकें और आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए)/मंत्रिमंडल नोट:

(i) रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन सीपीएसई को बंद करने की प्रगति की समीक्षा के लिए मार्च, 2025 माह के दौरान अंतर मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की 01 बैठक आयोजित की गई।

(ii) मार्च, 2025 माह के दौरान अंतर मंत्रालयी समूह (आईएमजी) की 02 बैठकें आयोजित की गईं।

(iii) डीपीई ने ब्रसेल्स में 25 और 26 मार्च, 2025 को आयोजित भारत-यूरोपीय संघ एफटीए वार्ता के 10वें दौर में भाग लिया।

(iv) डीपीई ने पेरिस में 19-20 मार्च, 2025 को ओईसीडी द्वारा आयोजित राज्य स्वामित्व और निजीकरण प्रथाओं पर कार्यकारी दल की 44वीं बैठक में भाग लिया।

(v) लोक उद्यम विभाग ने सर्च समिति की 03 बैठकें आयोजित कीं और विभिन्न सीपीएसई के निदेशक मण्डलों में स्वतंत्र (गैर-सरकारी) निदेशकों के 208 पदों को भरने के लिए सर्च समिति की सिफारिशों से अवगत कराया।

(vi) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के एमएसएमई विक्रेताओं द्वारा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (जेड) और लीन प्रमाणन स्कीमों को अपनाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अनुदेशों को आवश्यक कार्रवाई के लिए सीपीएसई को परिचालित किया गया था।

4. क्षमता निर्माण:

(i) डीपीई के 79 कर्मचारियों (वाईपी/वाईए सहित) ने 31 मार्च, 2025 तक आई-जीओटी पोर्टल पर 2170 पाठ्यक्रम पूरे कर लिए हैं।

(ii) लोक उद्यम विभाग में राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के 02 सत्र आयोजित किए गए।

5. एएमआरसीडी मामलों की स्थिति:

अद्यतन स्थिति के अनुसार, पोर्टल पर 196 मामले सूचित/दर्ज किए गए। 50 मामलों को वित्तीय सलाहकारों के स्तर पर खारिज कर दिया गया। 51 मामलों का निपटारा कर दिया गया है और 72 मामले सचिवों की समिति के पास निर्णयाधीन हैं। शेष 23 मामले संबंधित वित्तीय सलाहकारों के पास उनकी जांच और अनुमोदन के लिए लंबित हैं।

******